

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री कुशल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-48/2021 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO :-2021/83

दायर दिनांक 20.09.2021

निर्णय दिनांक 16.12.2021

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र मोतीलाल भाटी, उम्र 47 वर्ष जाति माली निवासी बस्सी पीरजादों का
मौहल्ला वार्ड नं. 25 नागौर जिला नागौर (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स गजेन्द्र मीठा
मावा, दिल्ली दरवाजा नागौर हाल पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (II) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

o निर्णय o

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित
अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011/727 दिनांक
29.11.2011 के अनुसरण में श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य
सरकार है। विपक्षी पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर
अवगत कराया है कि विपक्षी श्री किशनलाल पुत्र मोतीलाल भाटी, उम्र 47 वर्ष जाति माली
निवासी बस्सी पीरजादों का मौहल्ला वार्ड नं. 25 नागौर जिला नागौर (फर्म मालिक एवं
विक्रेता) मैसर्स गजेन्द्र मीठा मावा, दिल्ली दरवाजा नागौर हाल पुलिस थाना भीम जिला
राजसमन्द जो की मिठाई बेचने का कार्य करते है। पुलिस थाना भीम द्वारा दूरभाष पर सूचना
मय जरिये तहरीर दी गई कि यहां परिसर में 28 टिन खुले जिसमें मीठा मावा रखा है
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2020 को समय 03.00 पी.एम. पर पुलिस थाना
भीम पहुंचा वहां पर परिसर में खाद्य पदार्थ मावा किशन लाल भाटी पुत्र श्री मोतीलाल भाटी
उम्र 47 साल निवासी बस्सी पीरजादों का मौहल्ला वार्ड नं. 25 नागौर जिला नागौर उपस्थित
था इनके सामने एक टिन से मीठा मावा लेकर प्रारंभिक जांच की गई जोकि मानक स्तर का



(Handwritten signature)

नहीं पाया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा मीठा मावा से 2 किलो मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई -1086 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2020/3663 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/ 217/एक्ट/2020/226 दिनांक 02.11.2020 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ मीठा मावा अनसेफ Sub-Standard (Under Section 3(1)(zx)) of the food safety and standard act 2006 होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 05.10.2020 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी



(Handwritten signature)

द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा उक्त पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं कि जाती है। उसके द्वारा खाद्य सामग्री खरीद कर उसके द्वारा व्यापार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का मीठा मावा Sub Standard होना पाया गया। अतः अभियुक्तों ने **Sub Standard** (Under Section 3(1)(zx) of the food safety and standard act 2006) खाद्य पदार्थ मीठा मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है, बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र खाद्य कारोबार कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में जुर्माना योग्य अपराध है।

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री किशनलाल पुत्र मोतीलाल भाटी, उम्र 47 वर्ष जाति माली निवासी बस्सी पीरजादों का मौहल्ला वार्ड नं. 25 नागौर जिला नागौर (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स गजेन्द्र मीठा मावा, दिल्ली दरवाजा नागौर हाल पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द, को राशि 10,000/- रूपये (अक्षरे रूपया दस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द